कन्हाई मिश्रा उर्फ़ कन्हैया मिसर

बनाम

बिहार राज्य

27 फरवरी, 2001

[के.टी. थॉमस, आर.पी. सेठी और बी.एन. अग्रवाल, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, धारा 302 और 376 - अपीलकर्ता पर मृतक को बाग में ले जाकर बलात्कार और हत्या करने का आरोप है - 5 घंटे बाद फर्द-बयान दर्ज किया गया - कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है - उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित मृत्युदंड को संधारित रखा: - अपील पर यह माना गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपी की निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत और उसके अपराध के साथ संगत होना चाहिए ताकि दोष सिद्ध हो सके - न्यायालय को यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि क्या आरोपी ने अपराध किया है और परिस्थितियाँ एक पूर्ण श्रृंखला बनाती हैं सूचक और अन्य साक्षियों के बयानों में असंगतताएँ, विरोधाभास और जानकारी छिपाना मौजूद है - महत्वपूर्ण साक्षी जो प्रत्यक्ष साक्ष्य दे सकते थे, उनकी जाँच नहीं की गई - प्राथमिकी दर्ज करने में अनुचित देरी हुई। विचार-विमर्श के लिए पर्याप्त समय दिया गया:- केवल एक ही परिस्थिति सिद्ध हुई कि मृतक और अपीलकर्ता एक साथ चले गए थे, जिसे उनकी निर्दोषता के विपरीत नहीं कहा जा सकता। हालांकि, इस तरह के जघन्य अपराध को बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साबित करने में विफल रहा। दोषसिद्धि को दोषमुक्त कर दिया गया।

अपीलकर्ता पर आरोप है कि उसने मृतक को बहला-फुसलाकर बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वह मृतक को एक बाग में ले गया और

लगभग एक घंटे बाद कुछ ग्रामीणों ने उसके पिता, साक्षी संख्या 3 को सूचना दी कि वह वहाँ मृत पड़ी है। पुलिस को सूचित किया गया और पाँच घंटे बाद बयान दर्ज किया गया। 10 साक्षियों से अपीलकर्ता के विरुद्ध परिस्थितियों को सिद्ध करने के लिए पूछताछ की गई क्योंकि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध छह परिस्थितियाँ सूचीबद्ध कीं: (1) अपीलकर्ता मृतक के घर आया और उसे अपने साथ ले गया (2) वे दोनों एक साथ चले गए (3) उन्हें बाग की ओर जाते देखा गया (4) उन्हें फूल तोड़ते देखा गया (5) अपीलकर्ता को घटनास्थल से भागते देखा गया (6) अपीलकर्ता लगभग एक महीने से फरार था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 376 के तहत दोषी ठहराया और उसे मृत्युदंड दिया। अतः यह अपील दायर की गई है।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. आपराधिक न्यायशास्त्र में यह एक सुस्थापित नियम है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार तभी बनाया जा सकता है जब वह इस प्रकार का हो कि वह अभियुक्त की निर्दोषता के साथ पूर्णतः असंगत हो और केवल उसके अपराध के अनुरूप हो। अभियुक्त के विरुद्ध प्रयोग किए जाने वाले दोष सिद्ध करने वाले परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जो केवल अपराध की परिकल्पना की ओर ले जाएँ और अभियुक्त की निर्दोषता की प्रत्येक संभावना को उचित रूप से नकार दें। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, न्यायालय का संपूर्ण प्रयास यह पता लगाना होना चाहिए कि क्या अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और परिस्थितियाँ स्वयं से सिद्ध होकर एक पूर्ण श्रृंखला बनाती हैं जो अचूक रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करती है। यदि किसी वाद में अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध

परिस्थितियाँ या तो अभियुक्त की निर्दोषता या उसके अपराध के अनुरूप हैं, तो उसे संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। [163-जी-एच; 164-ए]

एम.जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, **एआईआर (1963) एससी 200;** *रॉनी उर्फ रोनल जेम्स अलवारिस और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य,* **[1998] 3 एससीसी 625 और** *जोसेफ पुत्र वूवेली पाउलो बनाम केरल राज्य,* **[2000] 5 एससीसी 197, अवलंबित।**

2. यह परिस्थिति कि कथित घटना के बाद अपीलकर्ता अपने घर से फरार हो गया, विश्वसनीय सबूतों से साबित न होने के अलावा, उसके खिलाफ उपयोग नहीं की जा सकती क्योंकि धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज उसके बयान से यह स्पष्ट है कि यह परिस्थिति कभी उसके सामने नहीं रखी गई थी और इसलिए इसका उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता। [168-जी)

केहर सिंह और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), **[1988] 3 एससीसी 609, अवलंबित।**

3. अपीलकर्ता के विरुद्ध केवल एक ही परिस्थिति सिद्ध हुई है और इसे उसकी निर्दोषता के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। यद्यपि, यह दुखद है कि एक किशोरी के साथ पहले बलात्कार करने और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या करने जैसे जघन्य अपराध को अभियोजन पक्ष की लापरवाही के कारण बिना दंड के छोड़ दिया गया है। दोषसिद्धि को दोषमुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि उसके विरुद्ध सिद्ध हुई एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती।[169-डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: वर्ष 2000 का आपराधिक अपील संख्या 887

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 19.5.2000 के निर्णय और आदेश से डी.आर. संख्या 3 वर्ष 1999 के साथ वर्ष 1999 का सीआरएल.ए. संख्या 234 (खं.पी.) में।

अपीलकर्ता की ओर से एम. कमरुद्दीन (सहायक अधिवक्ता)।

उत्तरदाता की ओर से बी.बी. सिंह और कुमार राजेश सिंह।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति बी.एन. अग्रवाल द्वारा सुनाया गया। यह विशेष अनुमति अपील पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है जिसमें सत्र न्यायालय के निर्णय को संधारित रखा गया है, जिसके तहत अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड तथा 5000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया, साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत भी दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास तथा 5000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष का वाद यह है कि 27 जुलाई, 1995 की सुबह लगभग 5 बजे, राम सुंदर झा (अभियोजन साक्षी 3) के सह-ग्रामीण, अपीलकर्ता, तंबाकू लेने के बहाने उसके घर आया। उस समय, अपीलकर्ता ने रीता कुमारी, सूचक की बेटी, से कहा कि शोभाकांत मिश्रा के बगीचे में बहुत सारे फूल हैं और उसे अपने साथ उस बगीचे में चलने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वह उसे फूल तोड़ने में भी मदद करेगा। इस तरह उसने रीता कुमारी को बहला-फुसलाकर बगीचे में जाने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद, रीता कुमारी फूल तोड़ने के लिए घर से बाहर निकली और अपीलकर्ता भी उसके पीछे-पीछे गया। सुबह 6 बजे, कुछ गाँववाले सूचक के घर आए और उन्हें बताया कि उनकी बेटी रीता कुमारी का शव प्रभु मिश्रा के जूट के खेत में पड़ा है। इसके बाद वे अपने परिवार के साथ वहाँ गए और उन्होंने अपनी बेटी को ज़मीन

पर पड़ा पाया। उनकी लाल अंतर्वस्त्र एक पैर से हटाई हुई थी। यह भी देखा गया कि उनके गुप्तांग के आसपास वीर्य जैसे सफेद धब्बे थे और उनकी गर्दन के दोनों ओर खरोंच के काले निशान थे। फूलों से भरी टोकरी वहाँ बिखरी पड़ी थी और उनकी चप्पलें कुछ दूरी पर दिखाई दे रही थीं। सूचक और उसके साथियों ने जब देखा कि रीता कुमारी बेहोश हो गई है, तो उसे उठाकर पास के ही एक कुएं पर ले गए, जो जय नारायण मिश्रा का था। वहां उस पर पानी डाला गया, जिसके बाद ही पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी क्योंकि उसे होश नहीं आया। रीता कुमारी का शव सूचक अपने घर ले गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, प्रतापगंज थाना के प्रभारी अधिकारी ने उसी दिन सुबह 11 बजे सूचक का बयान दर्ज किया, जिसमें यह भी आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी।

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के विरुद्ध परिस्थितियों को सिद्ध करने के लिए कुल 10 साक्षियों से पूछताछ की, क्योंकि निर्विवाद रूप से अपराध में उसकी संलिप्तता दर्शाने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। विचारण की समाप्ति पर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था, और उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी, इसलिए यह अपील विशेष अनुमति से हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है।

दो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए जिन परिस्थितियों को आधार बनाया गया था, उन्हें निम्नलिखित रूप में गिना जा सकता है:

I. घटना वाले दिन सुबह 5 बजे अपीलकर्ता सूचक के घर तंबाकू लेने के बहाने आया, उससे और उसकी बेटी रीता कुमारी से मिला, और उसे मधु श्रावणी के दिन शोभा कांत मिश्रा के

बगीचे में फूल तोड़ने के लिए फुसलाया, ताकि सूचक की नवविवाहित बड़ी बेटी उन फूलों का उपयोग पूजा करने के लिए कर सके।

II. अपीलकर्ता रीता कुमारी के साथ सूचक के घर से बाग के लिए निकला।

III. अपीलकर्ता और मृतक रीता कुमारी को बाग की ओर जाते हुए देखा गया।

IV. अपीलकर्ता और मृतक को शोभा कांत मिश्रा के खेत में फूल तोड़ते हुए देखा गया।

V. कथित घटना के तुरंत बाद अपीलकर्ता को जूट के खेत के पास भागते हुए देखा गया।

VI. कथित घटना के तुरंत बाद, अपीलकर्ता अपने घर से फरार हो गया और घटना के लगभग एक महीने बाद ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

आपराधिक न्यायशास्त्र में यह एक सुस्थापित नियम है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को किसी आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि का आधार तभी बनाया जा सकता है, जब वह इस प्रकार का हो कि वह आरोपी की निर्दोषता के साथ पूर्णतः असंगत हो और केवल उसके अपराध की पुष्टि करता हो। आरोपी के विरुद्ध प्रयोग किए जाने वाले दोष सिद्ध करने वाले परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि वे केवल अपराध की परिकल्पना की ओर ले जाएँ और आरोपी की निर्दोषता की हर संभावना को उचित रूप से खारिज कर दें। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, न्यायालय का संपूर्ण प्रयास यह पता लगाना होना चाहिए कि क्या अपराध आरोपी द्वारा किया गया था और सिद्ध परिस्थितियाँ स्वयं को एक पूर्ण श्रृंखला में संयोजित करती हैं जो अचूक रूप से आरोपी के अपराध की ओर इशारा करती है। यदि किसी मामले में अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता या उसके अपराध के अनुरूप हों, तो उसे संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। इस संबंध में, संविधान पीठ के *एम.जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य,* एआईआर

1963, एससी 200, और इस न्यायालय के हाल के निर्णयों, जैसे *रॉनी उर्फ रोनाल्ड जेम्स अलवारिस और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य,* [1998] 3 एससीसी 625 और *जोसेफ सिया कूवेली पाउलो बनाम केरल राज्य,* [2000] 5 एससीसी 197, का संदर्भ लिया जा सकता है।

उपरोक्त विधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रयुक्त परिस्थितियों को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य, जिन पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विचार किया था, पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर विचार करने से पहले, हमें लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करना उचित होगा, जो अपीलकर्ता की अपराध में संलिप्तता दर्शाने वाले अभियोजन पक्ष के वाद को अत्यधिक संदिग्ध बनाते हैं।

सबसे पहले, सूचक राम सुंदर झा (अभियोजन साक्षी 3) ने न्यायलय में अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि वह इंद्र मोहन झा (अभियोजन साक्षी 7) के साथ प्रतापगंज थाना गए और थाना के प्रभारी अधिकारी के सामने घटना का ब्योरा दिया। इसके बाद वे उनके साथ गांव लौट आए, जहां सूचक के घर में पुलिस उप-निरीक्षक चित्तरंजन शिट (अभियोजन साक्षी 11) ने, जो थाना के प्रभारी अधिकारी थे, सुबह 11 बजे उनका बयान दर्ज किया। प्रतिपरीक्षण के दौरान, साक्षी ने बताया कि वह उस दिन लगभग 9 बजे थाना पहुंचे, वहां 10 से 20 मिनट तक रुके और उसके बाद गांव लौट आए। इस साक्षी ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि उसने थाना के प्रभारी अधिकारी के समक्ष अपीलकर्ता का नाम बताया था, जो घटना का उसका पहला विवरण था। जब साक्षी थाना गया था, तो हमें कोई कारण नहीं मिलता कि वहाँ सुबह 9 बजे फ़र्द-बयान क्यों दर्ज नहीं किया गया, बल्कि दो घंटे बाद सुबह 11 बजे सूचक के घर पर दर्ज किया गया, जिससे पता चलता है कि फर्द -बयान दर्ज करने में अत्यधिक देरी हुई थी। इससे यह भी पता चलता है कि जब तक सूचक थाना पहुँचा, तब तक उसे अपीलकर्ता की अपराध में संलिप्तता का संदेह नहीं था और बाद में उचित विचार-विमर्श के बाद, सूचक ने अपने घर पर फर्द -बयान

दिया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता अपराध में संलिप्त था। इस प्रकार, इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन पक्ष का वह वाद संदिग्ध हो जाता है जिसमें अपीलकर्ता की अपराध में संलिप्तता दर्शाई गई है।

दूसरा, अभियोजन साक्षी 3 के उपरोक्त बयान से यह स्पष्ट है कि वह थाना गया, प्रभारी अधिकारी (अभियोजन साक्षी 10) को घटना का विवरण दिया, जिसके बाद अधिकारी गांव के लिए रवाना हो गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अन्वेषण अधिकारी (अभियोजन साक्षी 10) ने इस तथ्य को छिपाया है क्योंकि अपने साक्ष्य में उसने यह वाद पेश किया है कि उसे घटना वाले दिन सुबह 8:30 बजे थाना में गोपनीय सूचना मिली थी कि घटना वाले गांव में किसी की हत्या कर दी गई है, जिसके आधार पर 27.7.1995 को सनहा प्रविष्टि संख्या 368 थाना में दर्ज की गई थी और वह सूचना की पुष्टि करने के लिए गांव गया था। इससे पता चलता है कि अभियोजन पक्ष का वाद महत्वपूर्ण बिंदु पर *सत्य को छिपाने के दोष* से ग्रस्त है।

तीसरा, सूचक (अभियोजन साक्षी 3) के साक्ष्य के अनुसार, उसे घटना वाले दिन सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच अपने घर पर पलाट झा से पहली बार पता चला कि अपीलकर्ता ने उसकी बेटी रीता कुमारी की जूट के खेत में गला घोंटकर हत्या कर दी है और उसका शव वहीं पड़ा है। सूचक की पत्नी मंजुला देवी (अभियोजन साक्षी 9) ने बताया कि पलाट झा उनके घर आया और बताया कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है और शव जूट के खेत में पड़ा है। अभियोजन साक्षी 3 ने प्रतिपरीक्षण के दौरान बताया कि घटना वाले दिन वह अभियोजन साक्षी 7 और पलाट झा के साथ थाना से लौटा था, जिससे यह पता चलता है कि पलाट झा भी सूचक के साथ थाना गया था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन से पता चलता है कि फर्द-बयान पर दो व्यक्तियों, अर्थात इंद्र मोहन झा (अभियोजन साक्षी 7) और मध्यानंद झा ने हस्ताक्षर किए थे, और अभियोजन साक्षी 3 ने स्वीकार किया कि मध्यानंद झा को पलाट

झा के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पलाट झा को कैसे पता चला कि मृतका के साथ बलात्कार किया गया था और अपीलकर्ता ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और उसका शव जूट के खेत में पड़ा था। यदि पलाट झा घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, तो वे अभियोजन पक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण साक्षी थे। पलाट झा से पूछताछ नहीं की गई है। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। अभियोजन पक्ष पलाट झा से पूछताछ न करने का कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है, जबकि पलाट झा सच्चाई को उजागर करने वाले सबसे महत्वपूर्ण साक्षी थे।

इस प्रकार, उपरोक्त परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि अभियोजन पक्ष का वाद, जिसमें अपीलकर्ता की अपराध में संलिप्तता दिखाई गई है, स्वतः ही विश्वास के योग्य नहीं रह जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, अब हम अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा बताई गई परिस्थितियों पर विचार करते हैं।

अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रयुक्त पहला तथ्य सूचक (अभियोजन साक्षी 3) द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में और पुलिस के समक्ष दिए गए अपने बाद के बयान में तथा न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना वाले दिन अपीलकर्ता सुबह तंबाकू लेने के बहाने उसके घर आया, उससे और उसकी बेटी से मिला और उसे शोभाकांत मिश्रा के बाग में फूल तोड़ने के लिए फुसलाया। सूचक द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान का समर्थन उसकी पत्नी मंजुला देवी (अभियोजन साक्षी 9) ने किया है, जो उस समय उपस्थित थी जब अपीलकर्ता सुबह उनके घर आया था। साक्षियों के बयान... 3 और 9 की पुष्टि अफिलार नाथ ठाकुर (अभियोजन साक्षी 6) ने की है, जिन्होंने बताया कि घटना स्थल पर जब वे पहुंचे, तो अभियोजन साक्षी 3 ने उन्हें बताया कि सुबह अपीलकर्ता उनके घर आया और उनकी बेटी रीता

कुमारी को फूल तोड़ने के लिए बगीचे में जाने का प्रस्ताव दिया। इसी तरह का बयान इंद्र मोहन झा (अभियोजन साक्षी 7) ने भी दिया है। इस परिस्थिति के आधार पर हमें इन साक्षियों के साक्ष्य को खारिज करने का कोई आधार नहीं मिलता।

जहां तक दूसरी परिस्थिति का सवाल है कि अपीलकर्ता रीता कुमारी के साथ जूट के खेत के लिए घर से निकला था, यह कहा जा सकता है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में बताए गए अभियोजन पक्ष के वाद और साक्षियों के बयान में अंतर है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार, रीता कुमारी पहले घर से निकलीं और अपीलकर्ता उनके पीछे गया, लेकिन सूचक (अभियोजन साक्षी 3) ने न्यायालय में अपने बयान में कहा कि अपीलकर्ता पहले घर से निकला और आगे चला गया, जिसके बाद रीता कुमारी भी घर से निकलीं और बाग के लिए चली गईं। अभियोजन साक्षी 9, सूचक की पत्नी, ने अपने बयान में कहा कि रीता कुमारी पहले घर से निकलीं, वह आगे चली गईं और अपीलकर्ता उनके पीछे गया। अभियोजन साक्षी 6 और 7 ने बताया कि सूचक ने उन्हें बताया था कि रीता कुमारी और अपीलकर्ता फूल तोड़ने के लिए एक साथ घर से निकले थे।

उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन साक्षी 3 के बयान के अनुसार, जैसा कि उसने अभियोजन साक्षी 6 और 7 के समक्ष बताया, अपीलकर्ता और रीता कुमारी एक साथ घर से निकले थे, जबकि प्रथम सूचना प्रतिवेदन और अभियोजन साक्षी 9 के बयान के अनुसार, रीता कुमारी आगे चली गई और उसके बाद अपीलकर्ता बाग की ओर चला गया। जांच किए गए किसी भी साक्षी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने अपीलकर्ता और रीता कुमारी को एक साथ बाग की ओर जाते देखा था, बल्कि अभियोजन साक्षी 2 ने कहा है कि उसने अपीलकर्ता को अकेले बाग की ओर जाते देखा था। अभियोजन साक्षी 6 ने बताया कि शोभाकांत, जिसकी जांच नहीं की गई है, ने उसे बताया था कि उसने रीता को अकेले बाग की ओर फूल तोड़ने जाते

देखा था। इस बात को लेकर साक्ष्य में विसंगति है कि क्या रीता कुमारी आगे बढ़ीं और अपीलकर्ता उसके घर से उसके बाद चले गए, और क्या वे दोनों एक साथ उसके घर से नहीं निकले थे। वाद के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह विसंगति अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि किसी ने भी उन दोनों को एक साथ बाग की ओर जाते और फूल तोड़ते हुए नहीं देखा था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तब है जब पलाट झा, जो कि सूचक के अनुसार, वह पहला व्यक्ति था जिसने उसे सूचित किया था कि उसकी बेटी की हत्या अपीलकर्ता ने गला घोंटकर की थी और शव जूट के खेत में पड़ा था, की जांच नहीं की गई है। अतः, ऊपर बताए गए साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए, इस परिस्थिति का उपयोग अपीलकर्ता के विरुद्ध करना उचित नहीं है।

जहां तक तीसरे तथ्य का सवाल है कि अपीलकर्ता और मृतक रीता कुमारी को बाग की ओर एक साथ जाते देखा गया था, अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी 2, 6 और 7 के साक्ष्य के माध्यम से इसे साबित करने का व्यर्थ प्रयास किया है। इन तीन साक्षियों में से, अभियोजन साक्षी 6 और 7 यह दावा नहीं करते हैं कि उन्होंने अपीलकर्ता और रीता कुमारी को बाग की ओर जाते देखा था, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने घटना स्थल पर लक्ष्मण सदा (अभियोजन साक्षी 2) से सुना था कि उसने रीता कुमारी और अपीलकर्ता को बांस के बाड़े तक एक साथ जाते देखा था। इस बिंदु पर इन दोनों साक्षियों के बयान का अभियोजन साक्षी 2 ने खंडन किया है, जिसने कहा कि उसने अपीलकर्ता को अकेले बांस के बाड़े तक जाते देखा था। उपर्युक्त साक्षियों के साक्ष्य में पाई गई दुर्बलताओं के आलोक में, हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष इस परिस्थिति को साबित करने में विफल रहा है।

चौथी परिस्थिति, जिसमें अपीलकर्ता और रीता कुमारी को शोभाकांत मिश्रा के खेत में फूल तोड़ते हुए देखा गया था, केवल अभियोजन साक्षी 7 द्वारा सिद्ध की गई है, जिसने स्वयं

उन्हें फूल तोड़ते हुए देखने का दावा नहीं किया है, बल्कि यह बताया है कि महेंद्र मिश्रा नामक एक व्यक्ति ने उसे बताया था कि उसने रीता कुमारी और अपीलकर्ता को फूल तोड़ते हुए देखा था। लेकिन, अभियोजन पक्ष को ज्ञात कारणों से, महेंद्र मिश्रा, जो अकेले इस परिस्थिति को सिद्ध कर सकते थे, को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया है और उनकी गैर-परीक्षण के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसलिए, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि इस परिस्थिति के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।

अपीलकर्ता के विरुद्ध उपयोग की गई पाँचवीं परिस्थिति यह है कि उसे कथित घटना के तुरंत बाद जूट के खेत के पास से भागते हुए देखा गया था। अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी 2, 6 और 7 के साक्ष्य के माध्यम से इसे साबित करने का प्रयास किया है। इन तीनों साक्षियों में से, अभियोजन साक्षी 2 ने कहा कि कथित घटना के तुरंत बाद उसने अपीलकर्ता को जूट के खेत के पास संदिग्ध परिस्थितियों में भागते हुए देखा था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह बात ग्रामीणों को बताई थी। अभियोजन साक्षी 6 और 7 ने उनका समर्थन करते हुए कहा है कि उन्होंने यह बात उनके सामने कही थी। इसलिए, प्रश्न अभियोजन साक्षी 2 के साक्ष्य की सत्यता पर आधारित है। इस साक्षी को यह सुझाव दिया गया था कि वह आरोपी का शत्रु था, जिसे उसने नकार दिया। इस प्रश्न पर इस साक्षी के साक्ष्य पर अवलंबन करना सुरक्षित नहीं है, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि पलाट झा को साक्षी के रूप में पेश नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता और रीता कुमारी को बाग की ओर जाते हुए देखा गया था, क्योंकि यह संभव है कि जब तक अपीलकर्ता बाग पहुंचा, तब तक अपराध किसी और ने कर दिया हो और वहां पड़े शव को देखकर, डर के मारे, अपीलकर्ता को अभियोजन साक्षी 2 द्वारा भागते हुए देखा गया हो।

अपीलकर्ता के विरुद्ध उपयोग की गई अंतिम परिस्थिति यह है कि कथित घटना के बाद वह अपने घर से फरार हो गया और कथित घटना की तारीख से लगभग एक महीने बाद ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इस परिस्थिति का एकमात्र साक्ष्य अन्वेषण अधिकारी (अभियोजन साक्षी 10) का है, जिसने बताया है कि जांच के दौरान उसे गुप्त सूचना मिली थी कि अपीलकर्ता को केवल अंतर्वस्त्र पहने हुए भागते हुए देखा गया था। इसकी पुष्टि करने के लिए, वह आरोपी की तलाश में सशस्त्र बलों के साथ थाना से निकला और मिथिलेश इल्हा (अपीलकर्ता की बहन का पति) के घर मुरली गांव गया, जहां उसे सूचना मिली कि अपीलकर्ता के पिता चंद्र मोहन मिश्रा उसकी तलाश में वहां गए थे और उसे वहां न पाकर, उसकी तलाश में अन्य रिश्तेदारों के घर गए। इस साक्षी ने कहीं भी यह नहीं बताया है कि उसे यह गुप्त सूचना किससे मिली, क्योंकि ऐसी जानकारी को अपीलकर्ता के विरुद्ध इस परिस्थिति को साबित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इस साक्षी के साक्ष्य का दूसरा भाग, जिसमें उसने अपीलकर्ता के बहनोई मिथिलेश झा के घर पर यह जाना कि उसके पिता चंद्र मोहन मिश्रा मिथिलेश झा के घर आए थे और अपीलकर्ता की तलाश में अन्य रिश्तेदारों के घरों में गए थे, मिथिलेश झा और चंद्र मोहन मिश्रा की पूछताछ से सिद्ध किया जा सकता था, जो इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे, लेकिन अभियोजन पक्ष को ज्ञात कारणों से, उनकी पूछताछ रोक दी गई है। यह भी कहा जा सकता है कि अन्वेषण अधिकारी ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि वह कभी अपीलकर्ता के घर गया था या किसी अन्य साक्षी ने यह बताया है कि घटना के बाद अपीलकर्ता अपने घर में मौजूद नहीं था। इस प्रकार, हमें इस परिस्थिति को सिद्ध करने के लिए कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं मिलती है। किसी भी दृष्टिकोण से, इस परिस्थिति का उपयोग अपीलकर्ता के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए उसके बयान से यह स्पष्ट है कि यह परिस्थिति उससे कभी नहीं पूछी गई थी और

इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस संबंध में, इस न्यायालय के *केहर सिंह एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन),* [1988] 3 एससीसी 609 के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है।

उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के विरुद्ध केवल परिस्थिति संख्या 1 ही सिद्ध की है, अर्थात घटना वाले दिन अपीलकर्ता सूचक के घर के कमरे में आया और उसकी बेटी रीता कुमारी को शोभाकांत मिश्रा के बगीचे में फूल तोड़ने जाने का प्रस्ताव दिया। यह बात अपीलकर्ता की निर्दोषता के विरुद्ध नहीं कही जा सकती, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि सूचक का बयान थाना में दर्ज नहीं किया गया था, बल्कि उसके घर पर दो घंटे बाद दर्ज किया गया था। अन्वेषण अधिकारी ने इस तथ्य को छुपाया कि सूचक थाना गया था और उसने थाना में उसे घटना की जानकारी दी थी। अन्वेषण अधिकारी (अभियोजन साक्षी.10) ने बताया कि उसे गोपनीय जानकारी मिली थी कि घटनास्थल वाले गांव में किसी की हत्या हुई थी और इसके अलावा पलाट झा से पूछताछ नहीं की गई, जो सच्चाई को उजागर करने वाली सबसे महत्वपूर्ण साक्षी थी।

हमें यह जानकर बेहद खेद है कि एक किशोरी के साथ पहले बलात्कार और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से जांच और विचारण में लापरवाही के कारण कोई सजा नहीं मिली है। हमारे पास अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को, जो पहले से ही सजा का पात्र था, दोषमुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ साबित हुई एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती।

तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता के खिलाफ दी गई दोषसिद्धि और सजा अपास्त की जाती है।

ए.क्यू. अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।